

- मामला उपबण्ड अधिकारी कोल्काता (आमद)

दावा सं० २२७/१८

कलावती बनाम लीलाराम

13/8/18

वादिया मय वकील उमण दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे।  
उत्तरादीगण को जर्जे RAD तलबाने से तलब किया जावे।  
भायन्द पत्रावली दिनांक २०/८/१३ को पेश हो।

14/8/18

वादिया को प्रार्थना पर पर कलावती पेश हुई। वादिया  
को प्रार्थना पर पेश कर निवेदन किया कि वह अपने  
वाद को अपने नही चलाना चाहती। विद्वान मय चाहती  
है। वादिया को प्रार्थना पर सुनिएर किया जाकर आदेश  
कलावती को पेश किया। वादिया अपने वाद को अपने नही  
चलाना चाहती, इसलिए वादिया को वाद खारिज  
किया जाया है। कलावती, कलम सुकर हीकर नकर  
है नकर है मय वाद नकलीन करे अउर हो।

नि

अ  
कलावती

Id by  
Chigayis  
Aer  
14/8/2018